Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)

नैतिकता, सत्यनिष्ठा व अभिवृत्ति

(भाग–2)

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning Programme)

Code: CSM04

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)

नैतिकता, सत्यनिष्ठा व अभिवृत्ति

(भाग–2)

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली–110009
दूरभाष : 87501 87501, 011-47532596
टोल फ्री : 1800-121-6260
Web : www.drishtiias.com
E-mail : online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिये निम्नलिखित पेज को "like" करें
www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
www.twitter.com/drishtiias

UPSC DLP

विषय सूची (Contents)

5.	अभिवृत्ति	5–26
6.	सिविल सेवा के लिये अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य	27–54
7.	लोक प्रशासन में सिविल सेवा मूल्य तथा नैतिकता	55–79
8.	शासन व्यवस्था में ईमानदारी	80– 126
9.	केस स्टडी	127–169
10.	द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की चौथी रिपोर्ट 'शासन में नैतिकता' का सार	170–200

अध्याय
5

अभिवृत्ति (Attitude)

5.1 अभिवृत्ति क्या है/अभिवृत्ति की अंतर्वस्तु
5.2 अभिवृत्ति की संरचना
5.3 अभिवृत्ति एवं संबंधित धारणाएँ
5.4 अभिवृत्तियों का निर्माण
5.5 अभिवृत्ति एवं व्यवहार में संबंध
5.6 अभिवृत्ति के प्रकार्य
5.7 अभिवृत्ति परिवर्तन
5.8 अनुनयन/विश्वासोत्पादन
5.9 अभिवृत्ति एवं विचार में संबंध

5.1 अभिवृत्ति क्या है/अभिवृत्ति की अंतर्वस्तु *(What is Attitude/Content of Attitude)*

अभिवृत्ति का सामान्य अर्थ किसी मनोवैज्ञानिक विषय (Psychological Object) (अर्थात् व्यक्ति, वस्तु, समूह, विचार, स्थिति या कुछ और जिसके बारे में भाव आ सके) के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक भाव की उपस्थिति है। उदाहरण के लिये, वर्तमान भारत में पश्चिमी संस्कृति और ज्ञान के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति है, जबकि पारंपरिक तथा रूढ़िवादी मान्यताओं के प्रति आमतौर पर नकारात्मक अभिवृत्ति दिखाई पड़ती है।

अभिवृत्ति की परिभाषा में समय के साथ परिवर्तन आया है। शुरुआती परिभाषाओं में इसके केवल एक पक्ष पर बल दिया जाता था जिसे मूल्यांकन परक पक्ष (Evaluative) या भावनात्मक (Affective) पक्ष कहा जा सकता है। 1946 में थर्सटन ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा कि किसी मनोवैज्ञानिक विषय के पक्ष या विपक्ष में सकारात्मक या नकारात्मक भाव की तीव्रता को अभिवृत्ति कहते हैं।

कालांतर में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस बात पर बल दिया कि अभिवृत्ति में सिर्फ भावनात्मक पक्ष नहीं होता बल्कि संज्ञानात्मक पक्ष (Cognitive aspect) भी होता है अर्थात् एक जानकारी या विश्वास की उपस्थिति भी होती है। उदाहरण के लिये अगर कोई पुरुष कहता है कि महिलाएँ अतार्किक होती हैं तो इसमें महिलाओं में तर्क बुद्धि कम होने का विश्वास अंतर्निहित है और साथ ही उनके प्रति नकारात्मक भावना भी शामिल है। 1980-90 के बाद अभिवृत्ति की परिभाषा और व्यापक हो गई। इन परिभाषाओं में निहित दृष्टिकोण को ABC दृष्टिकोण कहा जाता है। यहाँ A का अर्थ Affective या भावनात्मक है; B का अर्थ Behavioural अर्थात् व्यवहारात्मक जबकि C का अर्थ Cognitive या संज्ञानात्मक है। इसे हिन्दी में 'संभाव्य' (संज्ञानात्मक, भावात्मक, व्यवहारात्मक) कहते हैं। इस दृष्टिकोण के समर्थक मानते हैं कि अभिवृत्ति किसी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति इन तीन संघटकों की अपेक्षाकृत स्थाई मानसिकता है। उदाहरण के लिये यदि कोई श्वेत अश्वेतों के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति रखता है तो उसमें तीन पक्ष होंगे:

(i) उसके पास कुछ ऐसी जानकारियाँ होंगीं जिनसे साबित होता हो कि अश्वेत बुरे होते हैं, ये जानकारियाँ गलत हो सकती हैं किंतु उसे विश्वास होगा कि ये सही हैं (संज्ञानात्मक पक्ष)।

(ii) वह अश्वेतों के प्रति नफरत या घृणा जैसी भावनाएँ अनुभव करेगा (भावनात्मक पक्ष)।

(iii) वह किसी अश्वेत को देखकर नकारात्मक प्रतिक्रिया करेगा जैसे उससे दूर बैठना, हाथ न मिलाना या गालियाँ देना आदि। (व्यवहारात्मक पक्ष)।

सामान्यत: माना जाता है कि अभिवृत्ति इन तीनों पक्षों से मिलकर बनती है। हालाँकि समकालीन अनुसंधानों के अनुसार अभिवृत्ति में व्यवहारात्मक पक्ष का उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या समूह के बारे में गलत धारणाएँ रखता हो (संज्ञानात्मक), बुरी भावनाएँ भी रखता हो (भावनात्मक) किंतु नैतिक मूल्यों या सामाजिक दबावों अथवा लड़ाई-झगड़े के भय से अपनी अभिवृत्ति के अनुरूप आचरण न करे, जैसे अफ्रीका में घूमते समय कोई श्वेत व्यक्ति अश्वेतों के प्रति वैसा आचरण नहीं करेगा जैसा अपने देश में कर सकता है।

अभी भी वंश केंद्रित राजनीति के प्रति प्रतिकूल अभिवृत्ति नहीं दिखाई पड़ रही है व आधे से अधिक राज्यों के मुख्यमंत्री राजनीतिक वंश परंपराओं से ही सफल हुए हैं। ग्रामीण तथा कस्बाई क्षेत्रों में जाति अभी भी सबसे महत्त्वपूर्ण राजनीतिक समूह बनी हुई है। इस अभिवृत्ति को बदलना एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है जिसे तीव्र तथा समावेशी आर्थिक विकास के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है।

धार्मिक आधार पर राजनीतिक अभिवृत्तियाँ कमज़ोर हुई हैं जो भारतीय जनता की राजनीतिक परिपक्वता का प्रमाण है। लोग यह समझने लगे हैं कि धार्मिक विवादों से उनके वास्तविक जीवन में कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं होगा। यही कारण है कि अयोध्या जैसा संवेदनशील मुद्दा भी राजनीतिक प्रभाव की दृष्टि से गौण हो चुका है। इतना ज़रूर है कि यदि चुनाव के तुरंत पहले असामाजिक तत्त्व दंगा भड़काने में सफल हो जाते हैं तो कुछ समय के लिये राजनीतिक अभिवृत्तियों पर धर्म का प्रभाव बना रहता है।

2014 के आम चुनाव का परिणाम चौंकाने वाला रहा है। सभी दल गठबंधन को राजनीति की अनिवार्यता मान चुके थे परंतु इन चुनावों में 30 साल बाद किसी पार्टी ने अकेले दम पर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया है। गौर करने की बात यह है कि यद्यपि भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता प्राप्त कर ली है परंतु यह सफलता उसने भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस तथा उत्तर भारत के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के वोट बैंक में सेंध लगाकर प्राप्त की है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा व तमिलनाडु में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के बाहर के क्षेत्रीय राजनीतिक दल सशक्त बनकर उभरे हैं। अत: भाजपा की इस सफलता से केंद्रीय स्तर पर गठबंधन की राजनीति में एक विराम भले ही आया हो लेकिन उसे पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। संभवत: इसीलिये भाजपा ने पूर्ण बहुमत प्राप्त करने के बाद भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार का निर्माण किया है।

दीर्घउत्तरीय प्रश्न

1. जीवन, कार्य, अन्य व्यक्तियों एवं समाज के प्रति हमारी अभिवृत्तियाँ आमतौर पर अनजाने में परिवार एवं उस सामाजिक परिवेश के द्वारा रूपित हो जाती हैं, जिसमें हम बड़े होते हैं। अनजाने में प्राप्त इनमें से कुछ अभिवृत्तियाँ एवं मूल्य अक्सर आधुनिक लोकतांत्रिक एवं समतावादी समाज के नागरिकों के लिये अवांछनीय होते हैं।
   (a) आज के शिक्षित भारतीयों में विद्यमान ऐसे अवांछनीय मूल्यों की विवेचना कीजिये।
   (b) ऐसी अवांछनीय अभिवृत्तियों को कैसे बदला जा सकता है तथा लोक सेवाओं के लिये आवश्यक समझे जाने वाले सामाजिक-नैतिक मूल्यों को आकांक्षी तथा कार्यरत लोक सेवकों में किस प्रकार संवर्धित किया जा सकता है? **UPSC (Mains) 2016**
2. सामाजिक प्रभाव और समझाना-बुझाना 'स्वच्छ भारत अभियान' की सफलता के लिये किस प्रकार योगदान कर सकते हैं? **UPSC (Mains) 2016**
3. सामाजिक समस्याओं के प्रति व्यक्ति की अभिवृत्ति के निर्माण में कौन-से कारक प्रभाव डालते हैं? हमारे समाज में अनेक सामाजिक समस्याओं के प्रति विषम अभिवृत्तियाँ व्याप्त हैं। हमारे समाज में जाति प्रथा के बारे में क्या-क्या विषम अभिवृत्तियाँ आपको दिखाई देती हैं? इन विषम अभिवृत्तियों को आप किस प्रकार स्पष्ट करते हैं? **UPSC (Mains) 2014**
4. प्राय: यह कहा जाता है कि 'राजनीति' और 'नैतिकता' साथ-साथ नहीं चल सकते है। इस संबंध में आपका क्या मत है? अपने उत्तर का उदाहरणों सहित आधार बताइये। **UPSC (Mains) 2013**
5. "मानव आचरण केवल अभिरुचि या हॉबी से नहीं समझा जा सकता बल्कि मनोवृत्तियों और अभिवृत्तियों की मिली-जुली प्रतिक्रियाओं से ही इसे पहचाना जा सकता है।" चर्चा कीजिये।
6. भारतीय मतदाता मतदान करते समय अपना मत नहीं देते बल्कि अपने जातीय उम्मीदवारों को वोट देते हैं। दिये गए कथन की पृष्ठभूमि में अभिवृत्ति और आचरण के संबंध पर चर्चा कीजिये।
7. क्या अभिवृत्तियों के निर्माण में आनुवंशिक कारकों की कोई भूमिका होती है?
8. आपकी राय में क्या किसी व्यक्ति की अभिवृत्तियों में परिवर्तन करना संभव है? यदि हाँ, तो कैसे?
9. अभिवृत्ति के निर्माण में सामाजिक अधिगम की भूमिका को उदाहरणों के साथ स्पष्ट करें।
10. व्यक्ति अपने परिवार समाज व शिक्षण संस्थानों में अंतर्क्रिया के दौरान विभिन्न विषयों के प्रति अपनी अभिवृत्तियाँ निर्मित कर लेता है। सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति की इन अभिवृत्तियों के संभावित हानिकारक पक्षों का उल्लेख करें।

अध्याय 6
सिविल सेवा के लिये अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य (Aptitude and Foundational Values for Civil Services)

6.1 अभिरुचि : अवधारणा एवं विशेषताएँ
6.2 लोक सेवा : अवधारणा एवं महत्त्व
6.3 लोक सेवा हेतु आधारभूत मूल्य
6.4 सत्यनिष्ठा
6.5 निष्पक्षता एवं असमर्थकवादी
6.6 वस्तुनिष्ठता
6.7 लोक सेवा के प्रति समर्पण
6.8 समानुभूति
6.9 सहिष्णुता
6.10 अशक्त वर्गों के प्रति संवेदना/करुणा
6.11 सिविल सेवाओं के लिये अन्य महत्त्वपूर्ण मूल्य

संवैधानिक लक्ष्यों की प्राप्ति तथा प्रशासन में दक्षता के लिये शासन व्यवस्था में नैतिक मूल्यों का होना आवश्यक है। देश की शासन व्यवस्था की स्टील फ्रेम लोक सेवाएँ इन लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रयास करती हैं, इसलिये लोक सेवाओं में कुछ अनिवार्य आधारभूत योग्यताओं के होने की अपेक्षा की जाती है। एक सिविल सेवक के सेवा काल में कई ऐसे मौके आते हैं जब उसे कठिन निर्णय लेने होते हैं और उसके निर्णय में थोड़ी-सी भी चूक कई व्यक्तियों के जीवन पर भारी पड़ सकती है। अच्छे शासन की नींव स्थिरता और मधुर संबंधों को सुनिश्चित करते हुए नैतिक गुणों पर रखी जानी चाहिये। सुशासन की स्थापना के लिये लोक सेवकों में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, निष्पक्षता, सहिष्णुता, राजनीतिक तटस्थता, वस्तुनिष्ठता, समानुभूति, वंचित वर्गों के प्रति करुणा तथा धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल्यों का होना आवश्यक है। साथ ही उनमें अपने कार्यक्षेत्र एवं दायित्वों के अनुरूप अभिरुचि होना भी आवश्यक है। लोक सेवा में नैतिकता एवं तार्किकता के सभी मूल्यों का समावेश किया जाना आवश्यक है। हमारे सिविल सेवकों को संवेदनशील होना पड़ेगा ताकि वे जनता के दु:ख-दर्द को समझ सकें और लोकतंत्र की बेहतरी में योगदान दें।

6.1 अभिरुचि : अवधारणा एवं विशेषताएँ *(Aptitude : Concept and Characteristics)*

अभिरुचि से आशय व्यक्ति की उस तत्परता, रुझान या क्षमता से है जो किसी पद एवं उसके कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करने हेतु आवश्यक है जिनका विकास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा संभव है तथा समयानुकूल सुधार की संभावना भी उपलब्ध रहती है। अभिरुचि कोई एक गुण नहीं है बल्कि एकाधिक गुणों का सम्मिलित संयोजन है। यह मानव क्षमता का एक महत्त्वपूर्ण अंग है।

फ्रीमैन के अनुसार, "अभिरुचि का तात्पर्य गुणों तथा विशेषताओं के एक ऐसे संयोग से होता है जिससे विशिष्ट, ज्ञात तथा संगठित अनुक्रियाओं के कौशल जैसे- किसी भाषा को बोलने की क्षमता, यांत्रिक कार्य करने की क्षमता आदि का पता लगाया जा सकता है।

बिंघम के अनुसार, "अभिरुचि किसी व्यक्ति के प्रशिक्षण के पश्चात् उसके ज्ञान, दक्षता या प्रतिक्रियाओं को सीखने की योग्यता है।" अभिरुचि को अभिरुचि भी कहा जाता है।

अभिरुचि क्या है? *(What is aptitude?)*

अभिरुचि किसी व्यक्ति की विशेषताओं का ऐसा संयोजन है जो बताता है कि अगर उसे उचित वातावरण तथा प्रशिक्षण दिया जाए तो वह किसी क्षेत्र विशेष में सफल होने के लिये आवश्यक योग्यताओं तथा दक्षताओं को सीखने की कितनी क्षमता रखता है? यह किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित कौशल को सीखने की अथवा ज्ञानार्जन की जन्मजात अथवा अर्जित क्षमता है। आमतौर पर अभिरुचिएँ जन्मजात होती हैं लेकिन वे अर्जित भी हो सकती हैं। अभिरुचि बुद्धिमत्ता (intelligence), ज्ञान (knowledge), समझ (understanding), रुचि (Interest) व कौशल (skills) से भिन्न है।

अध्याय
7

लोक प्रशासन में सिविल सेवा मूल्य तथा नैतिकता (Civil Service Values and Ethics in Public Administration)

7.1 प्रशासन में नैतिक स्थिति के निर्धारक
7.2 भारतीय प्रशासन में सामान्य नैतिक समस्याएँ/मुद्दे
7.3 नैतिक संशय/दुविधा
7.4 नैतिक चिंताएँ
7.5 नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत : विधि, नियम, विनियम व अंतरात्मा
7.6 उत्तरदायित्व एवं नैतिक शासन
7.7 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिक मुद्दे
7.8 कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था

लोक प्रशासन में नैतिकता की स्थिति अच्छी या बुरी हो सकती है। सामान्य रूप से अच्छी या बुरी स्थिति के अतिरिक्त लोक प्रशासन में नैतिकता की स्थिति का अनुमान नैतिक मूल्यों की तीव्रता तथा उनके पालन के आग्रह से लगता है। लोक प्रशासन में नैतिकता की स्थिति अनेक कारणों पर निर्भर करती है, जैसे- सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, विधिक, न्यायिक व ऐतिहासिक कारक।

प्रारंभ में लोक प्रशासन में नैतिक मूल्यों को शामिल किया जाए या नहीं, इस विषय पर अकादमिक विवाद उठ खड़ा हुआ था। विवाद 'मूल्य' तथा 'तथ्य' को लेकर था। कुछ विचारकों का मानना था कि नीतिशास्त्र का संबंध मूल्यों से है और लोक प्रशासन मूलत: निर्णय तथा कार्यवाही जैसी तथ्यात्मक प्रक्रियाओं से जुड़ा है। परंतु वर्तमान समय में नैतिकता तथा नैतिक मूल्यों को लोक प्रशासन का अभिन्न अंग माना जाता है। समानता, न्याय, मानवाधिकार जैसे मूल्य लोक प्रशासन के अभिन्न अंग माने गए हैं। लोक प्रशासक का दायित्व केवल तथ्यों के आधार पर कार्यवाही कर देना या निर्णय लेना भर नहीं है बल्कि इनमें नैतिक मूल्यों का समावेशन और समाज में नैतिक मूल्यों का संरक्षण भी उनकी ज़िम्मेदारी है।

7.1 प्रशासन में नैतिक स्थिति के निर्धारक *(Determinants of Ethical Status in Administration)*

ऐतिहासिक कारक (Historical Factors)

ऐतिहासिक कारक लोक प्रशासन में नैतिकता की स्थिति पर गहन प्रभाव डालते हैं। भारत में प्रशासन पर सबसे पुरानी पुस्तक 'अर्थशास्त्र' में प्रशासन में अनेक भ्रष्ट व अनैतिक रीतियों का वर्णन मिलता है जिससे प्रतीत होता है कि मौर्य कालीन प्रशासन भी नैतिकता के संकट से जूझ रहा था। मध्यकाल में तुगलक वंश के फिरोज़ शाह तुगलक ने उदारता का एक बहुत ही गलत उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने एक सिपाही को कुछ धन इसलिये उधार दिया था ताकि उस धन को रिश्वत में देकर वह अपना वेतन प्राप्त कर सके।

मुगल बादशाहों ने भी इस मामले में कोई बहुत अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया। इस युग में 'नज़राना' तथा 'बख्शीश' रिश्वत के सामाजिक रूप से स्वीकार्य रूप थे। प्रशासन में नैतिकता का यह स्तर निरंतर गिरता ही गया। कार्नवालिस ने इस संदर्भ में भारतीय प्रशासकों की घोर आलोचना करते हुए उन्हें बेईमान तथा चरित्रहीन बताया है। परंतु ईस्ट इण्डिया कंपनी के अंग्रेज़ अफसरों की हालत भी बहुत बेहतर नहीं थी और उनमें से कई की आलोचना तो ब्रिटिश संसद ने भी की।

अध्याय
8

शासन व्यवस्था में ईमानदारी (Probity in Governance)

8.1 लोक सेवा की अवधारणा
8.2 शासन तथा ईमानदारी के दार्शनिक आधार
8.3 सरकार में सूचना का आदान-प्रदान और पारदर्शिता
8.4 लोक सेवा गारंटी
8.5 कार्य संस्कृति
8.6 नीति संहिता एवं आचरण संहिता
8.7 सार्वजनिक निधियों का उपयोग
8.8 भ्रष्टाचार
8.9 भ्रष्टाचार : प्रकार एवं कारण
8.10 भ्रष्टाचार के प्रभाव
8.11 भ्रष्टाचार को अल्पतम करने के उपाय
8.12 भ्रष्टाचार निवारण में समाज, परिवार, सूचना तंत्र एवं व्हिसल ब्लोअर की भूमिका
8.13 भ्रष्टाचार पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा
8.14 भ्रष्टाचार का मापन एवं अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता

सामाजिक न्याय की प्राप्ति तथा प्रशासन में दक्षता के लिये शासन व्यवस्था में ईमानदारी अनिवार्य है। शासन में ईमानदारी की उपस्थिति के लिये प्रभावी कानून, नियम, विनियम होने आवश्यक हैं और साथ ही यह भी आवश्यक है कि इनका अनुपालन प्रभावी तरीके से कराया जाए। पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व जैसे गुण शासन में ईमानदारी को बढ़ाने में सहायक हैं। 'सूचना का अधिकार अधिनियम' जैसे कदमों द्वारा पारदर्शिता तथा 'सिटिज़न चार्टर' व 'सेवोत्तम मॉडल' जैसे कदमों ने उत्तरदायित्व की भावना को मज़बूत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

ईमानदारी आंतरिक रूप से अनुशासन से संबंधित है और भारत में लोक जीवन से अनुशासन दिन-प्रतिदिन कम होता जा रहा है। पश्चिमी देशों में व्यक्ति उच्च पदों पर पहुँचने के साथ ही कानून के प्रति सम्मान का भाव विकसित कर लेते हैं और शासक वर्ग भी कानूनों का पालन ईमानदारी व अनुशासन के साथ करता है। लेकिन, भारत में व्यक्ति की शक्ति को लोग इस बात से आँकते हैं कि वह किस सीमा तक कानून से परे जाकर काम करवा सकता है।

8.1 लोक सेवा की अवधारणा *(Concept of Public Service)*

लोक सेवा को मुख्यत: दो अर्थों में परिभाषित किया जा सकता है। पहले अर्थ में लोक सेवा के अंतर्गत वे सभी सेवाएँ शामिल हैं जिन्हें किसी देश की सरकार अपने सभी नागरिकों को उपलब्ध कराने का दायित्व स्वीकार करती है। लोकतांत्रिक-कल्याणकारी राज्य के युग से पहले राज्य द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की संख्या अत्यंत कम थी क्योंकि राज्य का स्वरूप 'पुलिस राज्य' का था। पुलिस राज्य का मूल कार्य न्याय और प्रशासन जैसी सेवाओं तक सीमित था।

कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आने के बाद से लोक सेवाओं के दायरे का निरंतर विस्तार हुआ है। अब लोक सेवा के अंतर्गत कई अन्य सेवाओं जैसे जल, विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, रोज़गार, सामाजिक न्याय इत्यादि को भी शामिल कर लिया गया है। लोक सेवाओं की प्रकृति व उपलब्धता से जुड़ी कुछ बातों के आधार पर राज्य की प्रकृति का अनुमान लगाया जा सकता है। ये हैं-

(i) राज्य, अपने नागरिकों को कितने प्रकार की लोक सेवाएँ उपलब्ध कराता है?

(ii) राज्य, सारी लोक सेवाएँ स्वयं ही उपलब्ध कराता है या राज्य व निजी क्षेत्र मिलकर सुविधाएँ उपलब्ध कराते हैं या सारी लोक सेवाएँ निजी क्षेत्र उपलब्ध कराता है?

(iii) राज्य, सेवाएँ नि:शुल्क उपलब्ध कराता है या बाज़ार कीमत पर या कुछ सब्सिडी देकर?

साम्यवादी राज्य प्राय: सभी लोक सेवाएँ स्वयं उपलब्ध कराता है जबकि पूंजीवादी राज्य में प्राय: सभी लोकसेवाएँ निजी क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। भारत जैसे समाजवादी या सम्मिश्रित प्रकृति के राज्य में लोक सेवाएँ उपलब्ध कराने का काम निजी व सरकारी दोनों क्षेत्र करते हैं।

अध्याय 9

केस स्टडी (Case Study)

केस स्टडी इस प्रश्न-पत्र के पूरे पाठ्यक्रम का अनुप्रयुक्त रूप (Applied form) है। यह इकाई पाठ्यक्रम की अन्य इकाइयों की तरह स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखती बल्कि सभी इकाइयों का सम्मिलित रूप है। केस स्टडी से संबंधित प्रश्न हल करने के लिये आवश्यक है कि पहली सात इकाइयों की अध्ययन सामग्री आपकी विचार प्रक्रिया का अंग बन जाए। विचार प्रक्रिया का अंग बनने का अर्थ है कि जब कोई केस स्टडी आपके सामने आए तो यह सोचने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिये कि इसे टीलियोलॉजी से करना है या डीआन्टोलॉजी से, बल्कि केस स्टडी का जो हल आप निकालें उसे अपने आप उपयुक्त विचारधारा के संगत होना चाहिये।

इस प्रश्न-पत्र में बेहतर अंक लाने का सबसे अच्छा तरीका है इसके पाठ्यक्रम में पढ़ी हुई बातों को जीवन में लागू करके देखना। अपने आस-पास की परिस्थितियों व घटनाओं पर गौर करें और विभिन्न लोगों (स्वयं, मित्र, माता-पिता, भाई-बहन) के निर्णयों का विश्लेषण करें। क्या इनके द्वारा लिये गए विभिन्न निर्णय नैतिक दृष्टि से उचित हैं? यदि निर्णयों में औचित्य का अभाव है या वे अनैतिक हैं तो निर्णय को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों पर विचार कीजिये। ऐसे कौन से कारक हैं जो व्यक्तियों को अनैतिक निर्णय लेने के लिये बाध्य करते हैं और आप स्वयं ऐसे दबावों से किस हद तक मुक्त हैं? केस स्टडी का हल आपको प्राय: ऐसे ही प्रश्नों से टकराते हुए खोजना होगा।

केस स्टडी को हल करने की रणनीति

1. कृत्य अथवा घटना की परिस्थिति तथा उसके प्रभाव का विश्लेषण करना चाहिये, जैसे-
   (i) अनैतिक कार्य किया जा चुका है या किया जा रहा है या बाद में होने वाला है। यदि कार्य किया जा रहा है या होने वाला है तो कृत्य को रोकने के उपाय प्राथमिक होंगे परंतु अगर घटना हो चुकी है तो उसके प्रभाव का प्रबंधन प्राथमिकता में होगा।
   (ii) जिस व्यक्ति ने कार्य किया क्या उसकी परिस्थितियाँ बाध्यकारी थीं या वह अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद ऐसा कर रहा था? परिस्थितियों के अनुरूप दण्ड में कठोरता या विनम्रता का समावेश होना चाहिये।
   (iii) कार्य का प्रभाव किस पर पड़ा और कितना पड़ा? यदि किये गए कार्य से कर्त्ता की ही हानि हुई है तो विशेष कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। कई मामलों में तो कर्त्ता दया का पात्र भी हो सकता है। अगर प्रभाव किसी अन्य व्यक्ति पर हुआ है तो स्थिति को गम्भीरता से लेना होगा। अगर कार्य का प्रभाव अतिव्यापक रूप से समाज पर हुआ है तो यह अति गम्भीर मामला बनता है। यह भी ध्यान रखना चाहिये कि प्रभाव का स्तर क्या है? जैसे यदि कार्य से किसी व्यक्ति अथवा समाज के अस्तित्व को चुनौती मिलती है तो अति गंभीर मामला बनता है, परंतु यदि कार्य से केवल साधारण स्तर पर थोड़ा-बहुत प्रभाव पड़ रहा है जैसे किसी कक्षा में बच्चे का चिल्लाना, तो हल्के उपायों से ही समाधान किया जाना चाहिये।
   (iv) कर्त्ता की परिस्थितियों में उसकी आयु पृष्ठभूमि तथा तात्कालिक परिस्थितियों पर ध्यान दें। यदि तात्कालिक परिस्थितियाँ कठिन हैं तो यह ध्यान दें कि उनके पीछे उसकी स्वयं की ज़िम्मेदारी कितनी बनती है।
2. निर्णयकर्त्ता के सामने कौन-कौन से नैतिक विकल्प उपलब्ध हैं उनकी सूची बनाएँ। कदम-दर-कदम (Step-by-Step) सोचते हुए अधिकतम विकल्पों पर विचार करें।
3. विभिन्न नैतिक विकल्पों को अपनाने से होने वाले संभावित परिणामों पर विचार करें। यह विचार अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक दोनों दृष्टियों से होना चाहिये। यह भी सोचना चाहिये कि नैतिक विकल्प का परिणाम हमारे उद्देश्य से सुसंगत होगा कि नहीं। परिणाम पर विचार करने के कुछ आधार हैं:
   (i) कर्त्ता पर प्रभाव।
   (ii) जिसके साथ कृत्य हुआ उस पर प्रभाव।
   (iii) समाज पर व सामाजिक नैतिकता पर प्रभाव।

अध्याय
10

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की चौथी रिपोर्ट 'शासन में नैतिकता' का सार (Summary of Second Administrative Reform Commissions Fourth Report 'Ethics in Governance')

'शासन में नैतिकता' हो सकता है कि प्रथम दृष्टया यह पूरी अवधारणा ही विरोधाभासी लगे क्योंकि आम जनमानस में यह मान लिया गया है कि अच्छे शासन की बुनियाद दृढ़ कानूनों पर ही रखी जा सकती है। परन्तु ईमानदारी से कहें तो इन दृढ़ नियमों और कानूनों का न होना अपने आप में कोई समस्या नहीं है। ईमानदारी और नैतिकता के मानदण्डों को केवल कानून के ज़ोर पर लागू करा दिया जाए ऐसा संभव नहीं है जब तक की स्वप्रेरणा से कोई व्यक्ति उनका पालन स्वयं न करे। विभिन्न नियम कानूनों के माध्यम से भ्रष्ट व्यक्ति को सज़ा तो दिलाई जा सकती है हो सकता है कि इन कानूनों के डर से उसका दिमाग भी थोड़ा विचलित हो परन्तु वह दिल से भी भ्रष्टाचार विरोधी हो जाएगा इस बात की संभावना बहुत कम है। महात्मा गांधी का यह कथन निश्चित रूप से हमारे व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन का मूल मंत्र बन जाना चाहिये कि-

"एक इंसान के रूप में हमारी महानता इसमें इतनी नहीं है कि हम इस दुनिया को बदल डालें, वह तो परमाणु युग का रहस्य है, जितना इसमें है कि हम खुद को बदल डालें।" गांधी जी के इसी कथन को प्रतिबिम्बित करता उनका दूसरा कथन है कि "जो बदलाव हम दूसरों में देखना चाहते हैं पहले स्वयं में लाएँ।" इस संबंध में लंदन के वेस्टमिंस्टर में एक पादरी की कब्र पर अंकित एक कथन का उल्लेख करना आवश्यक है-

"जब मैं बच्चा था तो मेरे मन में यह इच्छा बहुत ही प्रबल थी कि मैं इस पूरी दुनिया को बदल डालूँ, जब थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे लगा कि मैं इस दुनिया को तो नहीं बदल सकता पर अपने देश को ज़रूर बदल सकता हूँ। जीवन की अंतिम अवस्था में मुझे अहसास हुआ कि मैं इस देश को भी नहीं बदल सकता पर अपने प्रियजनों और अपने परिवार को ज़रूर बदल सकता हूँ। और आज मृत्यु की चादर ओढ़े इस मृत्युशैय्या पर मुझे लगता है कि अगर मैंने खुद को बदला होता तो मुझसे प्रेरणा लेकर मेरे पारिवारिक जन तथा निकट संबंधी खुद को बदलते फिर हम सब मिलकर अपना देश बदल सकते थे और आश्चर्य नहीं की पूरी दुनिया को भी बदल डालते।"

हमने भ्रष्टाचार की विभिन्न परिस्थितियों से समझौता कर लिया है और यह दुर्भाग्य ही है कि एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार में संलिप्त ऊँचे तबके के लोगों से चलकर यह भ्रष्टाचार निचले तबके तक आम लोगों की रोज़मर्रा की जिन्दगी तक पहुँचकर अनेक लोगों के लिये एक आदत-सी बन गया है। भ्रष्टाचार की जड़ें व्यवस्था में इतनी गहरी जम गई हैं कि अधिकतर लोग भ्रष्टाचार को अपरिहार्य समझते हैं और इसके विरोध में किये गए हर प्रयास को चुनौती देकर हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को संकट में डाल रहे हैं।

कुल मिलाकर भ्रष्टाचार नैतिक नियमों की गंभीर विफलता है इसलिये हमें एक ईमानदार कार्य संस्कृति की सख्त आवश्यकता है जो कि कानून और नैतिकता के सामंजस्य से लाई जाए।

भ्रष्टाचार को रोकने के लिये अब तक बनाए गए विभिन्न नियम कानून सफल नहीं हो पा रहे हैं और भ्रष्टाचार के विरुद्ध तमाम कार्रवाइयाँ दिखावा मात्र बनकर रह गई हैं। स्वतंत्रता के पहले भ्रष्टाचार के मामलों से निपटने के लिये आईपीसी ही प्रमुख हथियार थी जिसकी धारा 161 से 165 में भ्रष्ट लोक सेवकों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही का प्रावधान था। स्वतंत्रता के पश्चात् भ्रष्टाचार की बुराइयों से निपटने के लिये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 ज़रूर बनाया गया पर इसमें न तो भ्रष्टाचार की कोई नई परिभाषा दी गई है और न ही पुरानी परिभाषा के दायरे को विस्तृत किया गया है। इस अधिनियम में 1964 और 1988 में दो संशोधन ज़रूर किये गए परन्तु इसमें भी कोई विशेष सुधार नहीं किये गए। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 से 15 में रिश्वत से संबंधित सभी अपराधों को सूचीबद्ध किया गया है और उनके संबंध में जुर्मानों का भी प्रावधान है। परन्तु इन धाराओं में मौजूद ज़्यादातर प्रावधान भ्रष्टाचार के आर्थिक पहलू पर ही ज़ोर देते हैं

डी.एल.पी. बुकलेट्स की विशेषताएँ

- आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री।
- पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, सारणी, फ्लोचार्ट तथा मानचित्र का उपयुक्त समावेश।
- विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगिता पर विशेष ध्यान।
- क्विक रिवीजन हेतु प्रत्येक अध्याय में महत्त्वपूर्ण तथ्यों का संकलन।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों का समावेश।

Website : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

DrishtiIAS

YouTube Drishti IAS

drishtiias

drishtithevisionfoundation

641, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Phones : 8750187501, 011-47532596